न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील /117/ 2023

अपीलाट लतीफ खान पुत्र सुमार खान
निवासी ग्राम पोस्ट ईटादा तहसील धनाउ जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

आदेश

दिनांक : 12.07.2023

अपीलार्थी लतीफ खान पुत्र सुमार खान निवासी ग्राम पोस्ट ईटादा तहसील धनाउ जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 16.06.2023 को प्रस्तुत की गई हैं। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑनलाईन दिनांक 03.11.2022 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील निर्धारित मयाद अवधि के बाहर होने से जरिये नोटिस विलम्ब का कारण स्पष्ट करने हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत कोई संतुष्टिपरक कारण प्रकट किया हैं। फलतः यह अपील मयाद बाहर होने से श्रवणार्थ विचार योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 12.07.2023 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर